राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2664/2024

बोदी लाल जाट

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निबंधक, राजस्व मंडल, अजमेर, राजस्थान।
3. जिला कलेक्टर (भू–अभिलेख), जयपुर ग्रामीण।
4. तहसीलदार, आमेर, जिला जयपुर ग्रामीण।
5. श्री राजमल मीणा, भू. अभिलेख निरीक्षक, वृत्त बिचोली, आमेर, जिला जयपुर ग्रामीण।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.08.2024
आदेश की दिनांक : 07.10.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री धीरज गुप्ता, अभिभाषक
निजी प्रत्यर्थी की ओर से : श्री दयाराम, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने आलोच्य आदेश दिनांक 27.08.2024 (अनुलग्नक–1) व आदेश दिनांक 21.08.2024 (अनुलग्नक–5) को चुनौती दी है। आदेश दिनांक 27.08.2024 के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन ऑफिस कानूनगों/आमेर के पद पर किया गया है एवं आदेश दिनांक 21.08.2024 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी राजमल मीणा का पदस्थापन भू. अभिलेख निरीक्षक, वृत्त बिलौंची, आमेर, जिला जयपुर ग्रामीण के पद पर किया गया है। अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किए हैं कि पूर्व में आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी को भू अभिलेख निरीक्षक, वृत्त बिलौंची तहसील आमेर, जिला जयपुर ग्रामीण के पद पर पदस्थापित किया गया था, जिस आदेश की पालना में दिनांक 15.03.2024 को अपीलार्थी ने भू अभिलेख निरीक्षक, वृत्त बिलौंची, आमेर, जिला जयपुर ग्रामीण के पद पर कार्यग्रहण कर लिया। इसके पश्चात अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी को अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित

किया गया है और अपीलार्थी को प्रतिक्षाधीन होना मानते हुए ऑफिस कानूनगों/आमेर के पद पर पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी को बिना मस्तिष्क का प्रयोग किया प्रतिक्षाधीन होना मानते हुए आलोच्य आदेश दिनांक 27.08.2024 जारी किया गया है, जबकि अपीलार्थी प्रतिक्षाधीन नहीं था और भू. अभिलेख निरीक्षक, वृत्त बिलौंची, आमेर, जिला जयपुर ग्रामीण के पद पर कार्यरत था। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण पर प्रतिबंध की अवधि में स्थानांतरण किया गया है। स्थानांतरण पर प्रतिबंध वर्तमान में प्रभावी है और ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण किया जाना उचित नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि भू अभिलेख निरीक्षक का स्थानांतरण 2 वर्ष की अवधि से पूर्व नहीं किया जा सकता, ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण 2 वर्ष की अवधि के भीतर ही किया गया है, जो उचित नहीं है।

2. निजी प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि निजी प्रति निजी प्रत्यर्थी राजमल मीणा भू अभिलेख निरीक्षक के पद पर वृत्त बिलौंची, आमेर, जिला जयपुर ग्रामीण में कार्यरत था। पूर्व में आदेश दिनांक 10.03.2024 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी का स्थानांतरण भू. अभिलेख निरीक्षक, वृत्त बिलौंची, आमेर, जिला जयपुर ग्रामीण से बेंगू जिला चित्तौड़गढ किया गया था। उनके स्थानांतरण आदेश में वृत्त का नाम अंकित नहीं किया गया था। उक्त स्थानांतरण आदेश को निजी प्रत्यर्थी राजमल मीणा ने अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 1346/2024 में चुनौती दी थी, जिसमें अधिकरण द्वारा अपील स्वीकार की गई तथा निजी प्रत्यर्थी के स्थानांतरण आदेश दिनांक 10.03.2024 को अपास्त किया गया। ऐसी स्थिति में निजी प्रत्यर्थी वृत्त बिलौंची में ही पदस्थापित रहा। निजी प्रत्यर्थी चूंकि बिचौंली में भू अभिलेख निरीक्षक के पद पर अधिकरण के आदेश की पालना में कार्यरत हुआ था, ऐसे में निजी प्रत्यर्थी को अधिकरण के आदेशों के आधार पर भू अभिलेख निरीक्षक बिलौंची के पद पर पद ग्रहण करवाया गया और इसी कारण से अपीलार्थी को प्रतीक्षाधीन किया गया। बाद में अपीलार्थी को नए पद पर पदस्थापित किया गया, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है।
3. इस अपील में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया।
5. हम पाते हैं कि अपीलार्थी को वर्तमान पद पर प्रतीक्षाधीन इस आधार पर माना गया क्योंकि निजी प्रत्यर्थी ने अधिकरण द्वारा अपील संख्या 1346/2024 में

पारित आदेश दिनांक 19.06.2024 की पालना में भू अभिलेख निरीक्षक बिलौंची में पदभार ग्रहण कर लिया था। ऐसे में अपीलार्थी को अन्य पद पर पदस्थापित किये जाने में कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है। जहां तक अपीलार्थी का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण प्रतिबंध अवधि में किया गया है तो इस पर हमारा मत है कि निजी प्रत्यर्थी को अधिकरण के आदेशों की पालना में पदभार ग्रहण कराया गया था। ऐसे में अपीलार्थी को उसी पद पर नहीं रखा जा सकता था। इस कारण अपीलार्थी को अन्य पद पर पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी का नवीन पद पर पदस्थापन अधिकरण के आदेशों की पालना में किया गया है। ऐसे में अधिकरण के आदेशों की पालना किये गए स्थानांतरण को प्रतिबंध के परिपत्र के विपरीत जाकर किया जाना नहीं कहा जा सकता है।

6. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम अपीलार्थी के पदस्थापन आदेश दिनांक 27.08.2024 को त्रुटि पूर्ण होना नहीं पाते हैं। परिणाम स्वरुप यह अपील खारिज की जाती है। इस अपील में पूर्व में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 28.08.2024 को निरस्त किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)